संख्या–432/77–4–17–100एन./14

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त, उद्योग,
लखनऊ मण्डल लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:–**वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत कतिपय मानक मदो में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजित कराने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–769/77–4–16–21एन/16, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के कम में संयुक्त प्रबंध निदेशक के पत्र संख्या–पिकप/लेखा/2555, दिनांक 31 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अधोलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त निम्न विवरण के अनुसार धनराशि, जिसका कुल योग रू0 10114.00 (धनराशि रू हजार में) है, को संलग्न प्रपत्र संख्या–आर0ई0 संख्या–880/ई–6/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार पुनर्विनियोग कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुदान संख्या–7 आयोजनेत्तर
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं
105–विशेष जांच आयोग
03–एकल सदस्यी न्यायिक जांच आयोग धनराशि रू0 हजार में

| लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्वीकृत की जा रही है। | अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि |
|---|---|
| 17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | 1772.48 |
| 09–विद्युत देय | 65.07 |
| 13–टेलीफोन पर व्यय | 19.20 |
| योग | 1856.75 |

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा–जोखा पिकप द्वारा रखा जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक खाते मे नहीं रखा जायेगा।

3. धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13/2015/बी–2–2580/दस–2015–244/2015 दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का आहरण यथावश्यक प्रबंध निदेशक, पिकप की मांग पर किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ के माध्यम से शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे राजकोष में समर्पित कर दिया जायेगा।

5. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–7 के अन्तर्गत उक्त तालिका में अंकित लेखाशीर्षकों के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान की बचतों से पुनर्विनियोजित कर उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–177 / दस–17 दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार )
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, लखनऊ, गोमतीनगर।
4. सचिव, एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, पिकप भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–6 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार )
अनु सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)
अनुदानसंख्या व नाम अनुदान संख्या–7, कार्यालय–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) वित्तीय व[illegible] 2016–17

प्रपत्र–बी0एम0–9
(धनराशि हजार रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर | आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात [illegible] अनुदान/विनियोग (2–5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (आयोजनेत्तर)<br>105–विशेष जांच आयोग<br>03–एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग<br><br>01–वेतन | 5900 | 2058 | 1856 | 1856 | 4043 |
| योग :– | 5900 | 2058 | 1856 | 1856 | 4043 |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय | संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (810) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (आयोजनेत्तर)<br>105–विशेष जांच आयोग<br>03–एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग | | | | | |
| 09–विद्युत देय | 0 | 65.07 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |
| 13–टेलीफोन पर व्यय | 0 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
| 17–किराया उपशुल्क और कर सामित्व | 0 | 1772.48 | 1772.48 | 1772.48 | 1772.48 |
| योग :– | | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 |

1. अनुमोदित बजट में उपरोक्त मदों यथा किराया, विद्युत देय व टेलीफोन पर होने वाले व्ययों की व्यवस्था नही थी, जबकि उपर्युक्त व्यय वास्तविक रूप से हुए है। अतः उपरोक्तानुसार पुनर्विनियोजन निवेदित है।

संख्या –आर0ई0सं0–880/ई–6/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017

हस्ताक्षर.........................

नाम व पदनाम.– अनिल कुमार, अनु सचिव

प्रशासकीय विभाग औद्योगिक विकास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम–योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

वित्त विभाग

संख्या –432(।।)/77–4–2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6

हस्ताक्षर.........................

नाम व पदनाम –अनिल कुमार, अनु सचिव

प्रशासकीय विभाग–औद्योगिक विकास विभाग

## आनुदेश

(1) प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबधित पुनर्विनियोगी के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारत व्यय से संबधित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द भारित अंकित कर दिया जाय।

(2) जिन लेखाशीर्षो में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

(3) कालम–2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हो, को सम्मिलित किया जाये।